राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 51/2022

श्रीमती सरली देवी पत्नी प्रभाती लाल गुर्जर उम्र 77 वर्ष जाति गुर्जर निवासी मण्डाना तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........वादिया

ब–ना–म

1. मातादीन पुत्र स्व. रामजीलाल उम्र ..... वर्ष
2. बनवारी पुत्र स्व. रामजीलाल उम्र ..... वर्ष
3. श्रीमती गिन्दोड़ी पत्नी स्व. रामजीलाल उम्र ..... वर्ष
   समस्त जाति ब्राहमण निवासीगण मण्डाना तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
4. श्रीमती सन्तरा देवी पत्नी ताराचन्द पुत्री रामजीलाल उम्र ..... वर्ष जाति ब्राहमण निवासी ढाणी मीनावाली तन् संजयनगर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
5. उप पंजीयक, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर), खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........प्रतिवादीगण

दावा– घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती, स्थाई निषेधाज्ञा व खाता विभाजन

:: निर्णय :: **दिनांक 01–08–2022**

वादिया की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया है कि ग्राम मण्डाना तहसील खेतड़ी स्थित जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के आराजी खाता संख्या नया 135 पुराना 133 के खसरा नंबर 161 रकबा 0.20 है., ख.नं. 29 रकबा 0.17 है., ख.नं. 30 रकबा 0.03 है., ख.नं. 338 रकबा 0.51 है., ख.नं. 352 रकबा 0.43 है. व ख.नं. 36 रकबा 0.38 है. भूमि कुल किता 6 कुल रकबा 1.72 है. भूमि के रामजीलाल पुत्र सूरजमल जाति ब्राहमण रिकार्ड खातेदार दर्ज है। खाता सं. 135 के संवत् 2057 से 2060 की जमाबन्दी में पुराने खाता सं. 111 के तथा उक्त खाता संख्या में वर्तमान खाता सं. 135 के खसरा नंबर 36 रकबा 0.38 है. दर्ज था। संवत् 2057 से 2060 की जमाबन्दी में आराजी खसरा नंबर 36 रकबा 0.38 है. के रिकार्ड खातेदार रामजीलाल पुत्र सूरजमल जाति ब्राहमण थे जिन्होंने दिनांक 21.05.2004 को उक्त ख.नं. 36 रकबा 0.38 है. को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा उक्त खसरा नंबर वादिया को विक्रय कर दिया था तथा उसी समय उक्त खसरे पर काबिज काश्त करवा दिया था तभी से उक्त खसरा नंबर 36 रकबा 0.38 है. भूमि पर वादिया काबिज काश्त चली आ रही है। वादिया ख.नं. 36 रकबा 0.38 है. भूमि पर अपने खरीद के समय से ही निरन्तर शांतिपूर्वक काबिज काश्त चली आ रही है, वादिया अपने घरेलू आवश्यकताओं, व्यस्तता, वृद्धावस्था स्वास्थ्य की वजह से उक्त खसरा नंबर का राजस्व रिकार्ड में अपने नाम से नामांतरकरण दर्ज नहीं करवा पाई जिसकी वजह से उक्त खसरे के रिकार्ड में पूर्ववत् की भांति रामजीलाल का नाम रिकार्ड में चला आ रहा है।

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 12:12:22 IST
Reason: SelfAttested

रामजीलाल पुत्र सूरजमल ब्राहमण निवासी मण्डाना का स्वर्गवास हो गया है तथा राजस्व रिकार्ड में उसके नाम उक्त खसरे में निरन्तर रहने से तथा उसकी मृत्यु उपरान्त रिकार्ड में उसके वारिशान द्वारा लाभ लेकर अपना नाम दर्ज करवाकर वादिया की खरीद शुदा भूमि को खुर्द–बुर्द करने की धमकी दिये जाने से वादिया को अब उक्त खसरा नंबर 36 रकबा 0.38 है. को अपने नाम से खातेदारी घोषित करने व उक्त खसरे के रिकार्ड में दुरूस्ती करने के लिए आवश्यकता हुई है। वाद वर्णित भूमि खसरा नंबर 36 रकबा 0.38 है. भूमि का राजस्व रिकार्ड में रामजीलाल का नाम दर्ज होने से वादिया को हकतलफी है तथा वादिया के हिस्से की कब्जे काश्त भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 लगा. 4 द्वारा जबरन कब्जा कर वादिया के कब्जे काश्त में दखलंदाजी कर वादिया के हिस्से की भूमि को अपने नाम से दर्ज करवा कर तथा उसका फायदा उठाकर वादिया की भूमि को खुर्द–बुर्द करने के प्रयास में है। इसलिए यह वाद घोषणात्मक, रिकार्ड दुयस्ती व खाता विभाजन पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि :–

(क) वाके ग्राम मण्डाना तहसील खेतड़ी स्थित आराजी खसरा नंबर 36 रकबा 0.38 है. भूमि जो जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के खाता सं. 135 में दर्ज है उसका वादिया को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में तद्नुसार अमल दरामद करवा कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

(ख) प्रतिवादी सं. 1 लगा. 4 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वाद वर्णित विवादित भूमि ख.नं. 36 रकबा 0.38 है. भूमि को अपने नाम से नामांतरकरण राजस्व रिकार्ड में दर्ज न करावे तथा न ही उसके आधार पर किसी अन्य पक्ष को विक्रय, रहन, खुर्द–बुर्द करें तथा किसी प्रकार से खसरा नंबर 36 रकबा 0.38 है. में वादिया के कब्जे काश्त में दखलंदाजी न करें, ना वे स्वयं ऐसा करें और न किसी और से करावें।

(ग) वाद वर्णित विवादित भूमि ख.नं. 36 रकबा 0.38 है. भूमि का वादिया के नाम से अलग से खाता दर्ज किया जावे।

(घ) प्रतिवादी सं. 5 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वाद वर्णित भूमि ख.नं. 36 रकबा 0.38 है. भूमि के सम्बन्ध में किसी विक्रय पत्र, रहन इत्यादि का पंजीयन न करें।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के दौरान आयोजित केम्प जसरापुर में प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 4 ने उपस्थित होकर इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद वादिया मुताबिक वाद पत्र के स्वीकार कर हम प्रतिवादीगण का भी खाता विभाजन किया जाने का निवेदन किया है। प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 4 की पहचान पटवारी हल्का, खेतड़ी ने की है, तथा बाद इकबाली जवाब दावा शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण सं. 5 व 6 बावजूद सम्यक् सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादिया की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत् 2075–2078 खाता सं. 135 ग्राम मण्डाना, नकल मिलान क्षेत्रफल, फोटो प्रति विक्रय पत्र दिनांक 21.05.2004 पेश की।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता वादिया सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं वाद पत्र के अभिवचनों, प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 4 की ओर से प्रस्तुत इकबाली जवाब दावे का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध फोटो प्रति विक्रय पत्र दिनांक 21.05.2004 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि के ख.नं. 36

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 12:12:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

रकबा 0.38 है. वादिया श्रीमती सरली देवी पत्नी प्रभातीलाल जाति गूजर निवासी मण्डाना तहसील खेतड़ी ने जरिये विक्रय पत्र के रामजीलाल पुत्र सुरजमल जाति ब्राहमण निवासी मण्डाना तहसील खेतड़ी से खरीदी थी। उक्त खातेदार रामजीलाल का देहान्त हो चुका है जिसकी पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध मृत्यु प्रमाण पत्र रामजीलाल से होती है तथा प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 4 उनके विधिक वारिश हैं। प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 4 की ओर से इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद वादिया मुताविक अनुतोष स्वीकार कर, प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 4 का भी खाता अलग से कायम किये जाने का निवेदन किया है। अतः उपर्युक्त विवेचन स्वरूप वाद वादिया स्वीकार कर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः ग्राम मण्डाना तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खाता सं. 135 में दर्ज खसरा नंबर 161, 29, 30, 338, 352, 36 कुल किता 6 कुल रकबा 1.72 है. में से खसरा नंबर 36 रकबा 0.38 है. सम्पूर्ण का वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर अलग से खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 01–08–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी. खेतड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 12:22:22 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)

ठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

उनवान

श्रीमती सरली देवी पत्नी प्रभाती लाल गुर्जर उम्र 77 वर्ष जाति गुर्जर निवासी मण्डाना तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

ब–ना–म

1. मातादीन पुत्र स्व. रामजीलाल उम्र ..... वर्ष
2. बनवारी पुत्र स्व. रामजीलाल उम्र ..... वर्ष
3. श्रीमती गिन्दोड़ी पत्नी स्व. रामजीलाल उम्र ..... वर्ष
   समस्त जाति ब्राहमण निवासीगण मण्डाना तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
4. श्रीमती सन्तरा देवी पत्नी ताराचन्द पुत्री रामजीलाल उम्र ..... वर्ष जाति ब्राहमण निवासी ढाणी मीनावाली तन् संजयनगर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
5. उप पंजीयक, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर), खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

ा बाबत **घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती, स्थाई निषेधाज्ञा व खाता विभाजन**

दमा नम्बर :– **51/2022**

ीय दिनांक :– **01–08–2022**

वादिया की ओर से **श्री गणेश कुमार सुरोलिया एडवोकेट** की व प्रतिवादीगण की ओर से .. ी उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **01–08–2022** को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

"अतः ग्राम मण्डाना तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खाता सं. 135 में दर्ज खसरा नंबर 1, 29, 30, 338, 352, 36 कुल किता 6 कुल रकबा 1.72 है. में से खसरा नंबर 36 रकबा 8 है. सम्पूर्ण का वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्तानुसार राजस्व कार्ड में अमल दरामद कर अलग से खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने आदेश दिया जाता है।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **01–08–2022** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी ।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 12:12:22 IST
Reason: SelfAttested